

Office of the Districts Collector,
District- Champawat (Uttarakhand)

1.6

Annexure-23(A)

5

No. *meema* /F.R.A.

Dated *28.02.2018*

परियोजना का नाम :-

चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर
पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के
चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

Proceeding of the meeting of the District level Committee Constituted under
Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) act (FRA),
2006

A meeting of the District Level committee of Champawat district
(Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held the chairmanship of Dr. Ahmad
Iqbal (IAS), District Magistrate Champawat (Uttarakhand) On *28.02.2018*. at
..... Champawat in which the application claiming rights in
...*28.02.2018*..... in Champawat Tahsil. Area measuring 8.940 hec for the
Tanakpur Pithoragarh N.H. 125 (New 09) Construction of Champawat Bypass
Motor Road Under Char Dham Project of the forest FRA, 2006 of the following
applicant duly processed and recommended by the Sub- Division Level committee of
Champawat tahsil were discussed to consider the same for admission by the district level
committee.

After Scrutiny of the Documents and Detailed discussion. No
objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee
reommends the above case diversion to the land for the said purpose.

meema
अधिशाली अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट

h
(Dr. Ahmad Iqbal) (I.A.S)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Champawat.

Yash
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

h
जिला समान कल्याण अधिकारी
चम्पावत

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FROM-1

Government of Uttarakhand
Office at the district collector Champawat
No. *memo/FRA*

Date. *28-02-2018*

परियोजना का नाम :- चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर
पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के
चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights)Act,2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 8.940 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of NH Lohaghat (Champawat) (name of user agency) for Tanakpur Pithoragarh N.H. 125 (New 09) Construction of Champawat Bypass Motor Road Under Char Dham Project in District Champawat. (Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of *Rakodi, Fulara, Kofaleng, Chau, Purne* village (s) in Champawat Tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8.940 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

gmatu
अधिशसी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट
100

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

peru
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

4
जिलाधिकारी
चम्पावत

52
जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

परियोजना का नाम :-

चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर
पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के
चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चम्पावत।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण -पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चम्पावत।

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण (आरक्षित वन भूमि 1.200 हे० सिविल सोयम भूमि 3.720 हे०, वन पंचायत भूमि 3.480 हे०) अर्थात् कुल 8.380 हे० एवं मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे० कुल 8.940 वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चम्पावत की दिनांक 12-02-2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2003 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सुश्री सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी चम्पावत एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- सुश्री सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी चम्पावत - अध्यक्ष
- 2- श्री मनोहर सिंह सेनिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत - सदस्य
- 3- श्री हेमदत्त, सहायक समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत - सदस्य / सचिव
- 4- श्री हेमदत्त, बी०डी०सी० क्षेत्र फुगर - सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

“जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण” परियोजना हेतु 8.940 हे० वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में

1.6 8

ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड टनकपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 8.940 हे० वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त कर गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील लोहाघाट
जनपद चम्पावत।

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि०
लोहाघाट

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी
समिति
तहसील.....
जनपद.....

तहसीलदार
चम्पावत

वन अधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र

हेम देवी देवी

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- राकड़ी फुलारा

तहसील- चम्पावत, जिला- चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण 8.940 हे० वन भूमि का राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, लोहाघाट, चम्पावत के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम राकड़ी फुलारा द्वारा दिनांक ०१-०२-१८ को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम राकड़ी फुलारा के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव


ह०/-
ग्राम पंचायत राकड़ी फुलारा
ग्राम प्रधान चम्पावत

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। - आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

दिनांक 04-02-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सकली कुलाश

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जनार्दन कुलाश	Junardan
2	पुष्कर सिंह रावत	P. Raut
3	प्रेमवल्लभ जोशी	प्रेमवल्लभ जोशी
4	नारायणदास जोशी	नारायणदास जोशी
5	रमेश चंद्र कुलाश	Ramchandra
6	कल्याण नन्द	Kalyan
7	रवींद्र कुमा (जोशी)	रवींद्र कुमा (जोशी)
8-	मंगज कुमा जोशी	Mangaj
9-	हरिनाथ	हरिनाथ
10-	देव सिंह	देव सिंह
11-	गोरीदास	गोरीदास
12-	गणपत सिंह अधिवारी	गणपत सिंह
13	दुर्गाच जोशी	दुर्गाच
14-	प्रेम नाथ गोस्वामी	प्रेम नाथ
16-	प्रदीप बिहल	Pradipt
17-	भागीरथी बिहल	भागीरथी बिहल
18-	गणपत सिंह	गणपत सिंह
19-	मोहन सिंह	मोहन सिंह
20-	प्रकाश सिंह	प्रकाश सिंह

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

दिनांक 04-02-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ... २५/५/२०१५ ... २५/५/२०१५

[illegible]

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- शक्तिपुर
तहसील- चम्पावत, जिला- चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण 8.940 हे० वन भूमि का राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, लोहाघाट, चम्पावत के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम शक्तिपुर द्वारा दिनांक 4-2-18 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लटोली, लिस्टा, शक्तिपुर, नगरगौव के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

(हस्ताक्षर)

ग्राम प्रधान

जन पंचायत शक्तिपुरगंगा
दि० ०४/०२/२०१८
जनपद चम्पावत
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। - आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

दिनांक 14-2-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत शक्तिपुर बुंगा ग्राम, टनकोली, जिला, नगरपालिका

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	अनन-द बल्लभ जोशी	
2-	मोहन चंद्र पांडे	
3-	मोहन दत्त जोशी	
4-	दीपक जोशी	
5-	लालक जोशी	
6-	अमर सिंह मेहर	
7-	नवीन चंद्र भट्ट	
8-	प्रकाश चंद्र कलौनी	
9-	हरीश चंद्र कलौनी	
10-	गिरीश चंद्र जोशी	
11-	भनोज कुमार जोशी	
12-	चंद्र मेहर जोशी	
13-	जीवन्ती जोशी	
14-	नेत्र बल्लभ भट्ट	
15-	प्रकाश चंद्र	
16-	हरीश चंद्र पांडे	
17-	मोहन चंद्र पांडे	
18-	लाल सिंह	
19-	गिरीश चंद्र	

जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

ग्राम पंचायत शक्ति/४२ लिस्टा, जगरगांव लायली
 ग्राम सभा में उपस्थित ...

ग्राम पंचायत शक्तिपुरबुंगा
वि०ख०/जनपद - चम्पावत

परियोजना का नाम :-

चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर
पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09)
के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- फुगर
तहसील- चम्पावत, जिला- चम्पावत।
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 125 के कि.मी. 121.650 से कि.मी. 129.400 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 09 नया) में चम्पावत बाईपास का निर्माण कार्य हेतु (आरक्षित वन भूमि 1.200 हे० सिविल सोयम भूमि 3.720 हे०, वन पंचायत भूमि 3.480 हे०) अर्थात् कुल 8.380 हे० एवं मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे० कुल 8.920 हे० वन भूमि का राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो०नि०दे० लोहाघाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत 5-2-2018 द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम फुगर के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव

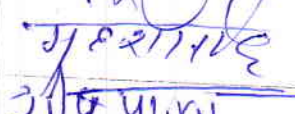
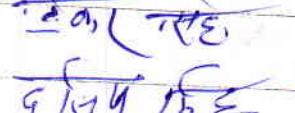
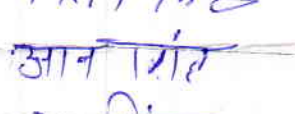
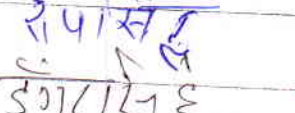
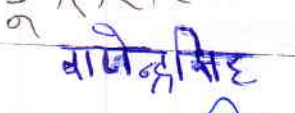
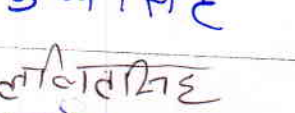
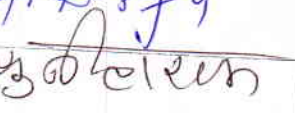
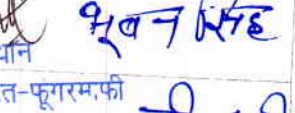
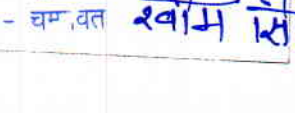

ग्राम पंचायत-फुगर की
दि०ख०- चम्पावत
ह०/-
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। - आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

परियोजना का नाम :-

चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर
पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09)
के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।दिनांक फरार ६-१-१८ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	देव सिंह	
2.	महेश सिंह	
3.	शीषपाल सिंह	
4.	मोहन सिंह	
5.	डिकर सिंह	
6.	दलीप सिंह	
7.	आन सिंह	
8.	रूप सिंह	
9.	इंगर सिंह	
10.	राजेंद्र सिंह	
11.	वडादुर सिंह	
12.	प्रेम सिंह	
13.	बलीत सिंह	
14.	रामीराम	
15.	हरीराम	
16.	सुनील राम	
17.	जोगा राम	
18.	भुवन सिंह	
19.	खीम सिंह	

ग्राम पंचायत-फरारमफी
वि०ख० - चम्पावत

खीम सिंह

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- चौकी

तहसील- चम्पावत, जिला- चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण 8.940 हे० वन भूमि का राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, लोहाघाट, चम्पावत के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम चौकी द्वारा दिनांक 5-2-18 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौकी, के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

कमल कौर

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत- चौकी

वि०ख० व जनपद चम्पावत

ह०/-

ग्राम प्रधान

नोट:-

यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। - आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

1.6 18

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

दिनांक 22-2-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चौकी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	दीवान सिंह कोहरा	दीवान सिंह
2-	चतुर सिंह कोहरा	चतुर सिंह
3-	रवीन्द्र सिंह कोहरा	रवीन्द्र सिंह
4-	पूरन सिंह कोहरा	पूरन सिंह
5-	पुष्प सिंह कोहरा	पुष्प सिंह
6-	पंकज सिंह कोहरा	पंकज सिंह कोहरा
7-	अशोक नाथ राम	अशोक नाथ राम
8-	गिरीश राम	गिरीश राम
9-	गोपाल राम	गोपाल राम
10-	नाथ राम	नाथ राम
11-	पदम सिंह प्रसादी	पदम सिंह
12-	गिरीश राम	गिरीश राम
13-	मोहन सिंह	मोहन सिंह
14-	पंकज सिंह	पंकज सिंह
15-	जयलाल देव प्रसादी	जयलाल देव